न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 11/2020-21

अंजनी कुमार वर्मा पिता श्री लाला रामचन्द्र वर्मा
ग्राम–हिनु, थाना–डोरण्डा, जिला–राँची। – अपीलकर्त्ता

बनाम्

अंचल अधिकारी, कर्रा। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
09.11.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–957R27/19-20 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.20 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
लोधमा	कर्रा 162	29	873	0.19½

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–लोधमा, थाना–कर्रा के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.19½ एकड़ है जिसे प्रदीप साहु उर्फ प्रदीप भगत पिता स्व0 राजाराम साहु उर्फ राजाराम भगत ग्राम–लोधमा, थाना–कर्रा से विक्रय पट्टा सं0 741/730 दिनांक 10.09.2009 से क्रय की गयी है। वर्णित जमीन RS खतियानी में जगेशर साहु वल्द दुबरी साहु के नाम से कायमी दर्ज है। उक्त खतियानी रैयत जगेशर साहु अपने पीछे चार पुत्र 1. परमेश्वर साहु उर्फ परमेश्वर भगत 2. राजाराम साहु उर्फ राजाराम भगत 3. दुखन साहु उर्फ दुखन भगत 4. गन्दोरी साहु उर्फ गन्दोरी भगत को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। इस तरह पिता के स्वर्गवास के पश्चात उक्त अपने हिस्से की जमीन का उत्तराधिकारी और मालिक उनके उपरोक्त चारो पुत्र हुए और अपने–अपने सुविधा के अनुसार आपसी परिवारिक बँटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक दखलकार हुए और राजाराम साहु उर्फ राजाराम भगत के स्वर्गवास के बाद उनके हिस्से की कुल जमीम का मालिक एवं उत्तराधिकारी उनके दो पुत्र 1. प्रदीप साहु उर्फ प्रदीप भगत 2. प्रमोद साहु उर्फ प्रमोद भगत हुए तथा शांतिपूर्ण ढंग से काबिज और दखलकार चले आ रहे तथा लगान रसीद

बराबर लेते आ रहे है। उपरोक्त प्लॉट नं0 873 में विक्रेता के पिता को ... 0.39 एकड़ भूखण्ड हिस्सा में प्राप्त हुआ जिसमें विक्रेता अपना हिस्सा ... रकबा 0.19½ एकड़ जमीन को बिक्री कर दिये।

अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार ऑनलाईन रजिस्ट्री केवाला नहीं खुलने/हार्ड कॉपी जमा नहीं करने क्रेता का स्पष्ट दखल नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की ऑफलाईन रसीद में खाता नं0 29 का रसीद काटा जाता था। ऑनलाईन पंजी 2 में खाता नं0– 29 के जगह 39 दर्ज हो गया है। खाता का सुधार हेतु सुरेश कुमार जयसवाल द्वारा खाता का सुधार हेतु आवेदन दिनांक 15.06.19 को अंचल अधिकारी, कर्रा को दिया गया परन्तु उनके द्वारा खाता में सुधार नहीं किया गया। अंत में अधिवक्ता द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत करने एवं खाता में सुधार करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का मिलान मूल कागजात से किया गया। अंचल अधिकारी, कर्रा को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः संबंधित मूल दस्तावेज का मांग कर सत्यापन कर ले, स्वंय स्थल जांच करते हुए नामांतरण एवं खाता में सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे साथ ही आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत करे।

लेखापित एवं संषोधित

09/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

09/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।